

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | बुधवार, 24 अप्रैल 2024



कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

सीआईएन L65110MH1985PLC038137

दूसरी मंजिल, डी-10, नं. 1-2, लोकल शॉपिंग सेंटर डी ब्लॉक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110053

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित चित्रीय आस्तियों के प्रवर्तन तथा प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सर्वेक्षी अधिनियम) के तहत मैसर्स के.जे. इंटरनेशनल लिमिटेड के खाने में श्री राज कुमार अरोड़ा तथा श्री अरुण कुमार अरोड़ा की अचल

जैसा कि, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ("केएमबीएल") ने मैसर्स के.जे. इंटरनेशनल लिमिटेड (इसके पश्चात "कर्जदार" सन्दर्भित) को कुछ ऋण सुविधाएँ स्वीकृत की थीं। जैसा कि, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ("केएमबीएल") के अधिकृत प्राधिकारी ने सर्वेक्षी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी की थी और कर्जदारों तथा जमानतियों अर्थात् मैसर्स के.जे. इंटरनेशनल एवं अन्य से कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लिखित राशियों का भुगतान करने को कहा था। कथित मांग का अनुपालन नहीं किया गया। मांग की गयी के भुगतान में विफल रहने के कारण, अधिकृत प्राधिकारी ने सर्वेक्षी अधिनियम तथा उसमें अधिनियमित नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में नीचे उल्लिखित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया। सर्वेक्षी अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके साथ पठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सम्पत्ति की ई-नीलामी द्वारा बिक्री का निर्णय लिया गया है।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा जमानतियों को सूचना दी जाती है कि 31 मार्च, 2019 तक राशि रु. 16,23,46,10,751.00 तथा 1 अप्रैल, 2019 से वसूली तक तिमाही दर से 20% वार्षिक व्याज एवं समस्त आकस्मिक लागतों तथा व्ययों की वसूली के लिए नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा 15 मई, 2024 को "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर संचालित की जायेगी।

नीलामी/बोली केवल मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से <https://kotakbank.auctiontiger.net> पर "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम" से की जायेगी। ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीओएस/चेक/डीडी के माध्यम से केएमबीएल के ई-नीलामी खाते में मुम्बई में अर्थात् कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, मलाड (पूर्व), मुम्बई, आईएफएससी कोड सं. KKBK0000646 की शाखा में "कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड खाता ई-नीलामी", खाता सं. 8411307138 में देय है। ईएमडी राशि के बिना जमा कोई संविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी। विधिवत भरे एवं हस्ताक्षरित नियम एवं शर्तों की प्रतियाँ दिनांक 23 अप्रैल, 2024, पैन/आधार कार्ड एवं पता तथा आईडी प्रमाण ऑनलाइन प्रस्ताव के साथ अपलोड करने होंगे और ईएमडी जमा करने का विवरण वेबसाइट/पोर्टल <https://kotakbank.auctiontiger.net> पर है।

लॉट सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरोक्षित मूल्य	ईएमडी	ऋण भार
I	ग्राम देवली, तहसील महरीली के राज्य सम्पदा में स्थित खसरा क्रमांक 13/4, मिन (0-15), 13/7 मिन (0-9) सहित 1 बीघा और 4 बिस्वा भूमि वाले प्लॉट नं. सी., नई दिल्ली, स्वामित्व श्री अरुण कुमार अरोड़ा और प्लॉट नंबर डी, माप 1 बीघा और 4 बिस्वा, खसरा नं. 13/3, मिन (0-10), मिन (0-6), 13/8(0-8), गांव देवली, तहसील महरीली, नई दिल्ली की राज्य सम्पत्ति में स्थित, स्वामित्व श्री राज कुमार अरोड़ा, साथ ही उस पर निर्माण (मकान नंबर एफ-201, लेन डब्ल्यू-ए/6, वेस्टर्न एवेन्यू, सैनिक फार्म नई दिल्ली)	रु. 5,70,00,000	रु. 57,00,000	ज्ञात नहीं

साइट पर निरीक्षण : तिथि : 8 मई, 2024 तथा 9 मई, 2024
10 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप. के बीच

ईएमडी जमा करने तथा संविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि : 14 मई, 2024 को 4 बजे अप. तक <https://kotakbank.auctiontiger.net> पर।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 15 मई, 2024 को 11 बजे प्रातः से 12.00 बजे अप. तक। यदि संविदा ई-नीलामी के अंतिम 5 मिनटों में की जाती है तो नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 5 मिनट बढ़ जायेगा।

संविदा वृद्धि राशि : रु. 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख मात्र) अथवा इसके गुणक से।

कोई बकाया सफल संविदाकार/संभावित क्रेता (ओं) द्वारा सुनिश्चित किया जाना तथा इसे अदा करना होगा क्योंकि यह बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" आधार पर की जा रही है। यहाँ ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में विवरणों को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम सूचना में प्रकट किया गया है, किन्तु वे कथित विवरणों की किसी त्रुटि, गलतबयानी और विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसलिए संविदाकारों/सम्भावित क्रेता (ओं) से निवेदन है कि वे अपने हित में संविदाएं जमा करने से पूर्व उपर्युक्त तथा सम्पत्ति/सम्पत्तियों से सम्बन्धित अन्य प्रासंगिक विवरणों के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लें।

नीलामी खाते में अगले कार्यदिवस तक जमा करना होगा। अंतिम क्रय राशि का शेष 75% उपर्युक्त के अनुसार उसी ई-नीलामी खाते में बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर आरटीओएस/एनईएफटी/चेक/डीडी के माध्यम से जमा करना होगा। अस्फुल संविदाकारों की ईएमडी संविदा/निविदा प्रपत्र में उन संविदाकारों द्वारा उल्लिखित केवल उसी खाता संख्या में 3 कार्यकारी दिवसों के भीतर जमा कर दी जायेगी।

बिक्री के नियम एवं शर्तें वेबसाइट/पोर्टल <https://kotakbank.auctiontiger.net> अथवा <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html> पर उपलब्ध हैं।

किसी सहायता, प्रक्रिया के किसी विवरण एवं नीलामी प्रक्रिया से सम्बन्धित ऑनलाइन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कृपया सम्पर्क करें : मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड-ऑक्शन टाइगर, बी-704, चाल स्ट्रीट-II, सामने औरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत), सम्पर्क नं. : 079-68136880/68136837 मोबाइल नं. : +91 9265562821/18 ई-मेल : support@auctiontiger.net तथा राश शर्मा -8000023297; सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य विवरण के लिए कृपया श्री विकास भारद्वाज-9873570366 से सम्पर्क करें।

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें :

- नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए संविदाकार को पोर्टल <https://kotakbank.auctiontiger.net> अथवा <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html> देखने का परामर्श दिया जाता है तथा कथित नियम एवं शर्तें उन संविदाकारों के लिए बाध्यकारी होंगे जो संविदा प्रक्रिया में भाग लेंगे। साथ ही ध्यान दें कि संविदा पोर्टल <https://kotakbank.auctiontiger.net> पर ऑनलाइन दाखिल की जानी है। इच्छुक संविदाकारों को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से अपनी संविदाएं जमा करने हेतु वेबसाइट <https://kotakbank.auctiontiger.net> देखने का भी परामर्श दिया जाता है।
- सम्भावित संविदाकार उपर्युक्त सम्पर्क नम्बरों पर ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज (ऑक्शन टाइगर) से ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं।
- जमा की गयी संविदा राशि आरोक्षित मूल्य के बराबर तथा/अथवा अधिक होनी चाहिए और संविदा प्रक्रिया के दौरान, संविदाकार रु. 5 लाख मात्र के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेगी।
- उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित समय के भीतर सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर, अधिकृत प्राधिकारी विक्रय प्रमाणपत्र जारी करेंगे और उसके पश्चात विक्रय प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तथा प्रतिभूत लेनदार किसी दावे पर विचार नहीं करेंगे।
- अधिकृत प्राधिकारी को किसी को बिना कोई कारण बताए बिना किसी पूर्व सूचना के स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री को आरंभित/निरस्त करने/बिक्री के नियमों एवं शर्तों में कोई संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- पंजीकरण प्रभारों, स्टैम्प शुल्क तथा करों आदि सहित सभी प्रभारों/बकायों का वहन केवल क्रेता को करना होगा।

यह कर्जदार/जमानतियों के लिए सूचना भी है कि यदि ई-नीलामी की तिथि से बकाये पूर्ण रूप से अदा नहीं किये जाते हैं तो नीलामी की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। यह ध्यान दें कि अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित नीलामी सूचनाओं में कोई विसंगति/असंगत उतपन्न होती है तो अंग्रेजी में प्रकाशित सूचना की प्राथमिकता दी जायेगी।

यह ध्यान दें कि अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित नीलामी सूचनाओं में कोई विसंगति/असंगत उतपन्न होती है तो अंग्रेजी में प्रकाशित सूचना की प्राथमिकता दी जायेगी।

कृते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, अधिकृत प्राधिकारी

स्थान : नई दिल्ली, तिथि : 23.04.2024